

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियों, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)**

प्रकरण संख्या :- 89/23

तारीख दायर  
8/5/2023

1- पन्नालाल पिता जीतमल जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी झाडोली तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थी

बनाम

- 1- बालु पिता नाराण जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी झाडोली तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- ओमप्रकाश पिता जीतमल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी झाडोली तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- नाथु पिता जीवन जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी झाडोली तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:—आदेश:—

दिनांक 10/05/2023

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री पन्नालाल अहीर ने जरिये अभिभाषक श्री सुमित कुमार जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम झाडोली पटवार क्षेत्र सलावटिया, भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सलावटिया, तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 127 आराजी नंबर 882/380 रकबा 0.2428 हैक्टेयर मूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम झाडोली पटवार क्षेत्र सलावटिया, भु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सलावटिया, तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 127 आराजी नंबर 882/380 रकबा 0.2428 हैक्टेयर की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियों को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियों  
बिजौलियों जिला-भीलवाड़ा

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या :- ४९/९

तारीख दायर  
४/५/२३

प्रेषिति :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या ..... ४९/२३ ..... पत्थरगढी बाबत।

- 1- पन्नालाल पिता जीतमल जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी झाडोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

—प्रार्थी

बनाम


- 1- बालु पिता नाराण जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी झाडोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)  
2- ओमप्रकाश पिता जीतमल जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी झाडोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)  
3- नाथु पिता जीवन जाति अहीर, उम्र वयस्क निवासी झाडोली तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

—विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम झाडोली पटवार क्षेत्र सलावटिया, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 127 आराजी नंबर 882/380 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 तय कि जाती है वक्त मोके पर प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ  
जिला भीलवाड़ा